



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2011/आश्विन 1, 1933

No. 533]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2011/ASVINA 1, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 716(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610ख के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम 25 सितंबर, 2011 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में, प्ररूप 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

**प्ररूप सं. 5**

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 95, धारा 97 या धारा 94क(2) या धारा 81(4) के अनुसरण में

प्ररूप भाषा English हिन्दी

संचयन, विभाजन आदि या शेयर पूंजी में वृद्धि या सदस्यों की संख्या में वृद्धि की सूचना

टिप्पण : \*चिह्नित दिए गए सभी स्थानों को भरा जाना आवश्यक है।

1.(क)\* कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)  
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (सीआईएन)

पूर्व भरा

2.(क) कंपनी का नाम  
(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता  
(ग)\* कंपनी का ई-मेल पहचान

3. \*प्ररूप का प्रयोजन  
कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से शेयर पूंजी की बढ़ोतरी केन्द्रीय सरकार के आदेश सहित शेयर पूंजी में बढ़ोतरी

सदस्यों की संख्या में वृद्धि समेकित या भाग आदि

4. (दिन/मास/वर्ष) की हुई कंपनी के सदस्यों की बैठक में द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 97 के अनुसरण में प्ररूप 23 से संबंधित सेवा निवेदन संख्या

साधारण

विशेष संकल्प

(क) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में निम्नानुसार वृद्धि की गई है,  
विद्यमान (रुपए में)  
पुनरीक्षित (रुपए में)  
अंतर (अतिरिक्त) (रुपए में)

(ख)(i) कंपनी के सदस्यों की संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है,  
विद्यमान  
पुनरीक्षित  
अंतर (अतिरिक्त)

(ii) पूर्व और वर्तमान कर्मचारी (कर्मचारियों) को अपवर्जित करके सदस्यों की अधिकतम संख्या

5.(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 94(क) की उपधारा (3) के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में,

द्वारा (वित्तीय संस्था का नाम प्रविष्ट करें) डिबेंचर ऋणों के शेयरों में संपरिवर्तन के लिए किए गए आवेदन पर अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (4) या धारा 94क की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के तारीख (दिन/मास/वर्ष) के आदेश के परिणामस्वरूप वृद्धि की गई है।

विद्यमान प्राधिकृत पूंजी (रुपए में)  
पुनरीक्षित प्राधिकृत पूंजी (रुपए में)  
अंतर (अतिरिक्त) (रुपए में)

(ख) पूर्वोक्त आदेश की एक प्रति (दिन/मास/वर्ष) को केन्द्रीय सरकार से कंपनी को प्राप्त हुई थी।

6. अतिरिक्त पूंजी को निम्नानुसार विभाजित किया गया है (उपर्युक्त परिवर्धन को ध्यान में रखकर)

(क) साधारण शेयरों की संख्या

साधारण शेयरों की कुल रकम (रुपए में)

(ख) अधिमानी शेयरों की संख्या

अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रुपए में)

कुल परिवर्धन (रुपए में)

7. वे शर्तें (मताधिकार, लाभांश का अधिकार, समापन अधिकार, आदि) जिनके अधीन नए शेयर जारी किए गए हैं, निम्नानुसार हैं :-

8. यह सूचना दी जाती है कि

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 95 के अनुसार कंपनी ने (दिन/मास/वर्ष) को किया है।

(दिन/मास/वर्ष)

(क) संचयी

(ख) संपरिवर्तित

(ग) पुनसंपरिवर्तित

(घ) उपविभाजित

(ड) मोचित

(च रद्द

(छ) पुर्नवर्गीकृत

9. उपर्युक्त 4,5,6 और 8 द्वारा परिवर्तनों पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित पूंजी संरचना  
(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रु. में)

प्राधिकृत पूंजी का पृथक-पृथक विवरण

साधारण शेयरों की संख्या

साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम

अधिमानी शेयरों की संख्या

अधिकारी शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति अधिमानी शेयरों की अभिहित रकम

अवर्गीकृत शेयरों की संख्या

अवर्गीकृत शेयरों की कुल रकम (रु. में)

(ख) कंपनी की पुरोधत पूंजी (रु. में)

पुरोधत पूंजी का पृथक-पृथक विवरण

साधारण शेयरों की संख्या

साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम

अधिमानी शेयरों की संख्या

अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति अधिमानी शेयर की अभिहित रकम

(ग) कंपनी की अभिदत्त पूंजी (रु. में)

अभिदायी पूंजी का पृथक-पृथक विवरण

साधारण शेयरों की संख्या

साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति साधारण शेयर की अभिहित रकम

अधिमानी शेयरों की संख्या

अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति अधिमानी शेयर की अभिहित रकम

(घ) कंपनी की संदत्त पूंजी (रु. में)

संदत्त पूंजी का पृथक-पृथक विवरण

साधारण शेयरों की संख्या

साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम

अधिमानी शेयरों की संख्या

अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति साधारण शेयर की अभिहित रकम

10. \*क्या अनुच्छेद संगम में परिवर्तन किया गया है हां नहीं

11. स्टाम्प ड्यूटी के संदाय (विशिष्टियां भरने से पहले ब्यौरा के लिए अनुदेश किट देखें )

(क) वह राज्य या संघराज्य जिस की बाबत स्टाम्प ड्यूटी संदत्त की गई है यहा संदत्त की जानी है

पहले से भरा

(ख) \*क्या स्टाम्प शुल्क का संदाय एमसीए-21 प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाना है। हां नहीं लागू नहीं होता

टिप्पण : एसई विनिधान लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (रिट याचिका सं० (सी) 2393/2010 और सिविल प्रकीर्ण अपील सं० 479/2011) वाले मामले में नई दिल्ली स्थित माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दिल्ली स्टाम्प अधिनियम में "बढ़ी हुई प्राधिकृत पूंजी" पर स्टाम्प शुल्क के संदाय के लिए कोई उपबंध नहीं है। प्राधिकृत पूंजी की बढ़ोतरी के लिए स्टाम्प शुल्क के संदाय को, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य के संबंध में प्ररूप 5 को फाइल करने के साथ संदत्त किया जाता है, वैकल्पिक बनाया जाता है।

(i) संदत्त किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क के ब्यौरे

संदत्त किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क की रकम (रुपए में)

(ii) पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क के ब्यौरें

दस्तावेज का प्रकार/विशिष्टिया

प्ररूप 5

स्टाम्प या स्टाम्प पेपर की कुल रकम (रुपए में)

स्टाम्प ड्यूटी के संदाय का ढंग

सरकार की ओर से स्टाम्प ड्यूटी का संग्रहण या स्टाम्प पेपर के विक्रय या दस्तावेजों का समुद्रभूत करने या स्टाम्प

वाउचरों का अभियोजन करने वाले विक्रेता या खजाने या प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम अभिकरण का नाम

समुद्रभूत, स्टाम्पों या स्टाम्प पेपर की क्रम संख्या या खजाना चालान संख्या

विक्रेता का रजिस्ट्रीकरण संख्या

स्टाम्प या स्टाम्प पेपर के क्रय या स्टाम्प शुल्क के संदाय की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

स्टाम्पों या स्टाम्प पेपर के विक्रय या स्टाम्प ड्यूटी के संदाय का स्थान

12. अधिसंदेय स्टाम्प शुल्क पहले ही संदत्त किए जाने की दशा में, पूर्व में फाइल किए गए (एसआरएन या प्राप्ति संख्या, प्ररूप फाइल किए जाने की तारीख, संदत्त स्टाम्प शुल्क रकम ) प्ररूप (प्ररूपों) के ब्यौरे दें।

3575 GE/11-2

## संलग्नक

1. केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्राप्ति का सबूत	संलग्न	संलग्नकों की सूची
2. परिवर्तित संगम ज्ञापन	संलग्न	
3. परिवर्तित संगम अनुच्छेद	संलग्न	
4. वैकल्पिक संलग्नक-यदि कोई हो/हों	संलग्न	

संलग्नकों हटाएँ

## सत्यापन

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से इस प्ररूप में और इसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

मुझे इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए निदेशक बोर्ड के संकल्प संख्या \*

तारीख (ता/मास/वर्ष) द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि कंपनी ने स्टॉप अधिनियम के अनुसार यथा लागू स्टॉप शुल्क संदत्त कर दिया है।

निम्नलिखित के द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किए जाएं

कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव

## \*पदनाम

\*निदेशक या प्रबंध निदेशक का निदेशक पहचान संख्यांक; या प्रबंधक का आयकर स्थायी खाता संख्या (आय-कर पैन); या सचिव का सदस्यता संख्यांक, यदि लागू हो या आयकर स्थायी खाता संलग्नक (किसी कंपनी का सचिव जो आईसीएसआई का सदस्य नहीं है, अपना आयकर स्थायी खाता संख्यांक उल्लेख कर सकेगा)

## प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उपर्युक्त ब्यौरों जिसके अंतर्गत संलग्नक भी है के अभिलेखों से सत्यापित किया है

और उन्हें सही तथा ठीक पाया है, मैं यह और प्रमाणित करता हूँ कि इस प्ररूप के साथ अपेक्षित

संलग्नक (संलग्नकों) संलग्न हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्ण कालिक व्यवसायरत) या

लागत लेखापाल (पूर्ण कालिक व्यवसायरत) या

कंपनी सचिव (पूर्ण कालिक व्यवसायरत)

\*क्या सहयुक्त या अधिसदस्य है सहयुक्त

अधिसदस्य

\*सदस्यता संख्या या व्यवसाय प्रमाण-पत्र की संख्या

उपांतरित

जांच

पूर्वसंवीक्षा

प्रस्तुत

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए -

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या

ई-प्ररूप भरने की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

इस ई-फार्म को एतद्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

प्राधिकारी आधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

[फा. सं. 2/20/2011-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.432(अ) तारीख 18 जनवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें सा.का.नि. 618(अ) तारीख 11 अगस्त, 2011 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2011

**G.S.R. 716(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with section 610B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely: —

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment) Rules 2011.
- (2) These rules shall come into force with effect from the 25<sup>th</sup> September, 2011.
2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, for Form 5, the following Form shall be substituted, namely:-

<b>FORM NO. 5</b>	Notice of consolidation, division, etc. or increase in share capital or increase in number of members
[Pursuant to sections 95, 97 or 94A(2) or 81(4) of the Companies Act, 1956]	

**Note - All fields marked in \* are to be mandatorily filled.**

1.(a) * Corporate identity number (CIN) of company	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pre-fill"/>
(b) Global location number (GLN) of company	<input type="text"/>	
2.(a) Name of the company	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
(b) Address of the registered office of the company	<input style="width: 100%; height: 80px;" type="text"/>	
(c) *e-mail ID of the company	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
3. *Purpose of the form	<input type="radio"/> Increase in share capital independently by company <input type="radio"/> Increase in number of members <input type="radio"/> Increase in share capital with Central Government order <input type="radio"/> Consolidation or division etc.	
4. In accordance with section 97 of the Companies Act, 1956, that by	<input type="radio"/> Ordinary <input type="radio"/> Special resolution at	
the meeting of the members of the company held on	<input type="text"/>	(DD/MM/YYYY)
Service request number (SRN) of related Form 23	<input type="text"/>	

(a) The authorised share capital of the company has been increased from

Existing	(in Rs.)	<input type="text"/>
Revised	(in Rs.)	<input type="text"/>
Difference (addition)	(in Rs.)	<input type="text"/>

(b) (i) The number of members in the company has been increased from

Existing	<input type="text"/>
Revised	<input type="text"/>
Difference (additional)	<input type="text"/>

(ii) Maximum number of members excluding past and present employee(s)

5.(a) In accordance with sub-section (3) of section 94(A) of the Companies Act, 1956, the authorised share capital of the company has been increased consequent upon an order dated  (DD/MM/YYYY) of the Central Government under sub-section (4) of section 81 or sub-section (2) of section 94A of the Act upon an application made to it by (Enter the name of the financial institution)

for conversion of  debentures  loans into shares

Existing authorised capital	(in Rs.)	<input type="text"/>
Revised authorised capital	(in Rs.)	<input type="text"/>
Difference (addition)	(in Rs.)	<input type="text"/>

(b) A copy of the aforesaid order was received by the company from the Central Government on  (DD/MM/YYYY)

6. The additional capital (taking into consideration the addition above) is divided as follows

(a) Number of equity shares	<input type="text"/>	Total amount of equity shares (in Rs.)	<input type="text"/>
(b) Number of preference shares	<input type="text"/>	Total amount of preference shares (in Rs.)	<input type="text"/>
Total addition	(in Rs.)	<input type="text"/>	

7. The conditions (e.g. voting rights, dividend rights, winding-up rights, etc.) subject to which new shares have been issued, are as follows

8. Notice is hereby given that

In accordance with section 95 of the Companies Act, 1956, that the company has on  (DD/MM/YYYY)

(a)  Consolidated



(b)  Converted

(c)  Reconverted

(d)  Subdivided

(e)  Redeemed

(f)  Cancelled

(g)  Reclassified

9. Revised capital structure after taking into consideration the changes vide points 4, 5, 6 and 8 above

(a) Authorised capital of the company (in Rs.)

Break up of Authorised capital

Number of equity shares  Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares  Total amount of preference shares (in Rs.)

Nominal amount per preference share

Number of unclassified shares  Total amount of unclassified shares (inRs.)

3575 GI/11-3

(b) Issued capital of the company (in Rs.)

Break up of Issued capital

Number of equity shares  Total amount of equity shares (in Rs.)   
(in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares  Total amount of preference shares   
(in Rs.)

Nominal amount per preference share

(c) Subscribed capital of the company (in Rs.)

Break up of Subscribed capital

Number of equity shares  Total amount of equity shares (in Rs.)   
(in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares  Total amount of preference shares   
(in Rs.)

Nominal amount per preference share

(d) Paid up capital of the company (in Rs.)

Break up of Paid up capital

Number of equity shares  Total amount of equity shares (in Rs.)   
(in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares  Total amount of preference shares   
(in Rs.)

Nominal amount per preference share

10. \* Whether articles of association have been altered  Yes  No

**11. Particulars of payment of stamp duty (Refer instruction kit for details before filling the particulars)**

(a) State or Union territory in respect of which stamp duty is paid or to be paid

(b) \* Whether stamp duty is to be paid electronically through MCA21 system  Yes  No  Not applicable

Note: The Hon'ble High Court of Delhi at New Delhi has held in the matter of S E Investments Limited Vs Union of India and Others [W.P. (c) 2393/2010 and CM Appl. 4794/2011] that there is no provision in the Delhi Stamp Act for payment of stamp duty on "increased authorised capital". Payment of stamp duty for increase of authorised capital being paid with filing of Form No.5 with respect to State of National Capital Territory of Delhi is made optional.

(i) Details of stamp duty to be paid

Amount of stamp duty to be paid (in Rs.)

(ii) Provide details of stamp duty already paid

Type of document/Particulars	Form 5
Total amount of stamps or stamp paper (in Rs.)	<input type="text"/>
Mode of payment of stamp duty	<input type="text"/>

Name of vendor or Treasury or Authority or any other Competent agency authorised to collect stamp duty or to sell stamp papers or to emboss the documents or to dispense stamp vouchers on behalf of the Government	
Serial number of embossing or stamps or stamp paper or treasury challan number	
Registration number of vendor	
Date of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty	<input type="text"/> (DD/MM/YYYY)
Place of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty	

12. In case maximum stamp duty payable has already been paid, provide details of form(s) filled earlier (SRN or receipt number, form number, date of filling, amount of stamp duty paid)

--

**Attachments**

1. Proof of receipt of Central Government order
2. Altered memorandum of association
3. Altered articles of association
4. Optional attachment(s) - if any

**List of attachments**

--

**Verification**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I have been authorised by the Board of directors' resolution number \*  dated \*  (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

I further declare that the company has paid correct stamp duty as per applicable Stamp Act.

**To be digitally signed by**

Managing director or director or manager or secretary of the company

\*Designation

\* Director identification number of the director or Managing Director; or Income-tax permanent account number (Income-tax PAN) of the manager; or Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary (secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN)

**Certificate**

It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of

and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form.

- Chartered accountant (in whole-time practice) or 
  Cost accountant (in whole-time practice) or  
 Company secretary (in whole-time practice)

\*Whether associate or fellow  Associate  Fellow

\*Membership number or certificate of practice number






For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer



Date of signing

(DD/MM/YYYY)

[F. No. 2/20/2011-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published vide number G.S.R. 432(E) dated the 18<sup>th</sup> January, 1986 and last amended vide G.S.R. 618 (E), dated the 11<sup>th</sup> August, 2011.